रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236011
CG-DL-E-25052022-236011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
No. 135]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISTHA 3, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सं. 10/2015–2020

विषयः– कच्चे सोयाबिन तेल और कच्चे सुरजमुखी का तेल के आयात हेतु पशुल्क दर कोटे के आवंटन के संबंध में।

फा. नं0. 01/89/180/36/एएम–14/पीसी–2(क)/भाग–II/ई–32035.–विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.06 और 2.61 द्वारा प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत कच्चे सोयाबिन तेल और कच्चे सुरजमुखी बीज के तेल के आयात हेतु प्रावधानों को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:

1. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.60 (ख) के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाता है:

प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात नीचे दर्शाए गए अनुसार प्रति वर्ष मात्रा तक वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान आबंटित होगा। उपर्युक्त टीआरक्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किए जाने वाले संबधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2022–सीमाशुल्क दिनांक 24.05.2022 के अनुसार अलग से लिया जाएगाः

मद विवरण	आईटीसी (एचएस)	टीआरक्यू प्रति वर्ग (मी.टन में)
कच्चा सोया–बिन तेल, डिग्यूम्ड हो या नहीं	1507 10 00	20.00.000
कच्चा सुरजमुखी बीज तेल	1512 11 10	20.00.000

2. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.61(घ) के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाता है।

i. इन आवेदनों जिनके आयातक–निर्यातक को (आईईसी) को जारी करने की तिथि इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को अथवा इसके बाद है पर विचार नहीं किया जाएगा

ii. आवेदनों को प्रोसेस/रिफानर्स को केवल उनके स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता पर आधारित वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर विचार किया जाएगा ।

iii. प्रत्येक प्रोसेसिंग इकाई हेतु आवेदकों को उनकी प्रोसेसिंग क्षमता दर्शाते हुए केन्द्र/राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजी प्रमाण की स्व–प्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी। प्रमाण पत्र इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। कच्चे सूरजमुखी तेल अथवा कच्चे सोया तेल हेतु प्रोसेसिंग क्षमता को उक्त प्रमाणपत्रों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

iv आवेदको को उक्त श्रेणियों हेतु एक वैध एफएसएमएआई लाइसेंस भी प्रदान करना होगा।

v. एक आईईसी हेतु केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा।

vi. टीआरक्यू जारी करने की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध रहेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आबंटन हेतु आवेदनों को आगे की तिथियों पर अलग से आमंत्रित किया जाएगा।

4. प्रत्येक पात्र आवेदक हेतु टीआरक्यू को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.51 के अंतर्गत एक्जिम सुवधिा समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित किया जाएगा। आवेदनों की जांच करते समय ईएफसी अन्य बातों के साथ–साथ आवेदक की मासिक/वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता को ध्यान में रखेगा। डीजीएफटी उचित समझने पर किसी भी समय आबंटन में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 हेतु 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और 20 मीट्रिक टन कच्चा सूरजमुखी तेल हेतु प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

Public Notice

New Delhi, the 24th May, 2022

No. 10 / 2015-20

Subject: Allocation of Tariff Rate Quota for Import of Crude Soya bean Oil and Crude Sunflower Oil -reg

F. No. 01/89/180/36/AM-14/PC-2[A]/Part-II/E-32035.—In exercise of the powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the provisions for import of Crude Soyabean Oil and Crude Sunflower Seed Oil under Tariff Rate Quota(TRQ) by amending para 2.60 and 2.61 of the Handbook of Procedures as follows :

1. The following provision is inserted as para 2.60(b) of the Hand book of procedures:

Tariff Rate Quota(TRQ) Imports shall be allocated during financial years 2022-23 and 2023-24, up to quantities per year as indicated below. The duty exemption under the said TRQs may be availed

as per Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 30/2022-Customs dated 24.05.2022.

Item Description	ITC(HS)	TRQ per Year (in MT)
Crude Soya-bean oil, whether or not degummed	1507 10 00	20,00,000
Crude Sunflower seed oil	1512 11 10	20,00,000

2. The following provision is inserted as para 2.61(d) of the Hand book of procedures:

DGFT invites fresh applications for allocation of said Tariff Rate Quotas(TRQ) during FY 2022-23 with effect from 27.05.2022 and not later than **18.06.2022** as follows —

i. Applications where the date of issuance of their Importer-Exporter Code (IEC) is on or after the date of this Public Notice shall not be considered.

ii. The applications shall be considered on Actual User basis to processors/refiners only based upon their own processing capacity.

iii. For each processing unit, applicants shall provide a self-certified copy of documentary proof issued by Central/State Authorities, indicating its processing capacity. The certificate should be dated prior to issue of this Public Notice. The process capacity for Crude Sunflower Oil or Crude Soya Oil should be clearly mentioned in the said certificates.

iv. Applicants shall also provide a valid FSSAI License for the said categories.

v. Only one application against one IEC shall be considered.

vi. The TRQs shall be valid for 1 year from the date of Issuance.

3. Applications for allocation during FY 2023-24 shall be invited separately at subsequent dates.

4. The TRQ for each eligible applicant shall be notified as per the decision of the EXIM Facilitation Committee under para 2.51 of the HBP 2015-20. The EFC, while examining the applications, will take into considerations; inter alia, the monthly/annual processing capacity of the applicant. DGFT reserves the right to make any changes in the allocation at any point of time, as deemed fit.

5. Effect of Public Notice: Provisions for allocation of Tariff Rate Quota (TRQ) for 20 Lakh MT of Crude Soya bean oil and 20 Lakh MTs of Crude Sunflower oil for FY 2022-23 and 2023-24 has been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &
Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.25 16:10:25 +05'30'